झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
संकल्प

विषय : जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निर्गत पुनर्वास नीति का संशोधन।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के लिये पुनर्वास नीति संकल्प संख्या -- 1374 दिनांक 30.09.03 द्वारा निर्गत है।

2. समीक्षोपरान्त सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी वर्त्तमान प्रावधान को और व्यापक किये जाने के निमित्त यथामान के निर्गत पुनर्वास नीति जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–मु॰ अ॰ (मो॰)–204/2001/1374 पटना दिनांक 30.09.03 के अन्य कंडिकाओं को अक्षुण्ण रखते हुए संकल्प की कंडिका–9.0 को निम्न रूपेण पुनर्स्थापित किया जाता है :–

9.00 विस्थापितों को राज्य सरकार अंतर्गत वर्ग–3 एवं 4 की नियुक्तियों में छूट।

9.1 विस्थापित व्यक्ति को राज्य सरकार के अधीन वर्ग–3 एवं 4 की नियुक्तियों में 3 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

9.2 राज्य के अंतर्गत सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, बोर्ड, निगम, आदि में वर्ग–3 एवं 4 के कर्मचारियों की नियुक्ति में विस्थापितों को, यदि वे सभी मापदंड यथा अहर्त्ता/आरक्षण आदि को पूरा करते हैं, प्राथमिकता दी जायेगी। सरकारी नियुक्ति में प्राथमिकता का लाभ प्रत्येक परिवार को एक बार ही मान्य होगा।

विस्थापितों की संख्या के सापेक्ष चूँकि सामान्यतः राज्य सरकार के अंतर्गत उपलब्ध नौकरियों की संख्या बहुत कम होती है अतः सीमित संख्या में ही विस्थापितों को सरकारी नौकरी दी जा सकेगी।

9.3 जिन विस्थापित परिवार को विस्थापन के आधार पर सरकारी नौकरी दिया जाता है उन्हें पुनर्वास अन्तर्गत मात्र गृह स्थल आवंटन की सुविधा देय होगी (बशर्ते की उनका आवास अर्जित किया गया है) तथा यदि कोई अन्य पुनर्वास संबंधी सुविधा उन्हें नियुक्ति के पूर्व दी गई है तो उस सुविधा के समतुल्य राशि उनके वेतन से किस्तों में दो वर्षों की अवधि में काट लिया जायेगा।

3. **प्रभाव की तिथि :–**

3.1 यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश : आदेशित किया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र में अगले असाधारण अंक में किया जाय। इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारियों को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश

अपर सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– मु॰ अ॰ (मो॰)–204/2001 589 /राँची, दिनांक 16/05/05

प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को भेजी जाए।

अपर सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– मु॰ अ॰ (गो॰)–204/2001 589 /राँची, दिनांक 16/05/05

प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त/योजना आयुक्त/सरकार के सभी विभागों के सचिव, सभी जिलों के उपायुक्त/जल संसाधन विभाग के सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सभी उपसचिव एवं सभी अवर सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
जल संसाधन विभाग

झारखंड सरकार

पुनरीक्षित पुनर्वास नीति

2003

जल संसाधन विभाग

झारखंड सरकार

राँची

झारखंड सरकार

जल संसाधन विभाग

विषयः– जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में भू–अर्जन से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु पुनरीक्षित नीति का निर्धारण।

अविभाजित बिहार राज्य में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हुए विस्थापितों के पुनर्वास हेतु परिपत्र सं० 796 दिनांक 21.02.1981, सं० 3915 दिनांक 31.08.1988 सं० 1333, दिनांक 27/28.03.1989, सं० 645 दिनांक 11.12.1990, सं० 2086, दिनांक 01.10.1991, सं० 1212 दिनांक 18.09..1993 तथा सं० 262/ आई० सी० दिनांक 12.11. 1999 द्वारा विशेष मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। समय समय पर निर्गत उपर्युक्त दिशा निदेशों का एक स्थान पर संकलन एवं पिछले दो दशकों के अनुभव के आधार पर यथाआवश्यकता संशोधन आवश्यक हो गया था। जिसे दृष्टिपथ में रखते हुए इस पुनरीक्षित पुनर्वास नीति का सूत्रण किया गया है।

2.0 उद्देश्य

2.1 इस पुनर्वास नीति का उद्देश्य है कि विस्थापित परिवारों की पुनर्वास व्यवस्था इस प्रकार किया जाय कि नये स्थान पर संक्रमण काल के पश्चात अपने जीवन स्तर में वे सुधार करेंगे या कम से कम अपना पूर्व जीवन स्तर प्राप्त करेंगे।

3.0 परिभाषाएँ

3.1 ''विस्थापित'' उन्हें माना जायेगा जो कि भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से

कम से कम एक वर्ष पूर्व से उस क्षेत्र में जिसका कि भू–अर्जन किया जा रहा है, मे साधारणतया रहते रहे हों, एवं

(क) जिनका आवास जल–प्लावित (डूब) क्षेत्र में अथवा डूब क्षेत्र के बाहर अर्जित की गयी भूमि में पड़ता हो, अथवा

(ख) जिनके पास की आधा, या अधिक, भूमि, अर्जन के फलस्वरूप ढ़ाई एकड़ या उससे कम सिंचित भूमि या साढ़े तीन एकड़ या उससे कम असिंचित भूमि शेष रह जाती हो, अथवा

(ग) भूमिहीन जो अपनी आजीविका अधिग्रहित की जा रही भूमि पर मजदूरी/स्वनियोजन/शिल्पकारी आदि कर निर्वाह कर रहे हैं एवं भू–अर्जन के पश्चात् गृह–विहीन एवं आजीविका विहीन जाएंगे।

3.2 क)''परिवार'' में, विस्थापित व्यक्ति और उसके पति/उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अववाहित पुत्री, अवयस्क भाई या अविवाहित बहन, माता पिता तथा अन्य सदस्य जो उसके साथ निवास करते है और आजीविका के लिए उस पर आश्रित हैं, सम्मिलित है।

ख) प्रत्येक बालिग लड़के को एक अलग परिवार के रूप में माना जायेगा।

ग) परिवार की पुत्री जो अन्यत्र विवाहित हो किन्तु परित्यक्ता अथवा विधवा हो एंव उसका पर्याप्त साक्ष्य हो तथा मायके के अतिरिक्त उसकी आजीविका का अन्य विकल्प नहीं हो, वैसी स्थिति में उसे भी स्वतंत्र इकाई माना जायेगा।

घ) भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को जो विस्थापित व्यक्ति 18 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लिये हों उनको बालिग माना जायेगा।

3.3 ''भूमिहीन'' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके स्वयं के पास अथवा उसके परिवार के सदस्यों के पास कोई भी कृषि

स्थानीय ग्राम सभा के द्वारा किया जाना होगा।

3.4 ''लघु'' तथा ''सीमान्त'' कृषक से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जिसके पास क्रमशः दो हेक्टेयर व एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो।

4.0 पुनर्वास संबंधी प्रावधान

4.1 प्रत्येक विस्थापित परिवार के मुखिया को अभिप्रमाणित तस्वीर के साथ विस्थापन पहचान पत्र (विस्थापित विकास पुस्तिका) दिया जायेगा जिसमें उनके परिवार का व्योरा तथा विस्थापन के क्रम में उपलब्ध करायी गई सुविधाओं को निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जाएगा एवं इस विवरणी के कम्प्यूटरिकृत रूप में कार्यालय में संधारित किया जायेगा।

4.2 किसी भी परियोजना में भू–अर्जन की प्रक्रिया समाप्त होने के छः माह की सीमा में विस्थापितों को पुनर्वास पैकेज की मूल सुविधाओं को उपलब्ध करा देने का लक्ष्य रहेगा।

5.0 आवास अर्जित किये जाने से विस्थापित परिवारों को देय सुविधाएँ

5.1 आवास निर्माण के लिए भू–खण्ड

क) विस्थापित परिवार जिनका आवास भू–अर्जन अंतर्गत है को 15.0 डिसमिल भू–खण्ड चयनित पुनर्वास स्थल में निःशुल्क आबंटित किया जायेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर आवास के लिए भू–खण्ड नहीं लेना चाहते है तो उसके एवज में जमीन का मूल्य रु० 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) देय होगा।

ख) भूमिहीन विस्थापित परिवार को 5.0 डिसमिल भू–खण्ड चयनित पुनर्वास स्थल में निःशुल्क आबंटित किया जायेगा। यदि कोई

भूमिहीन विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर आवास के लिए भूखंड नहीं लेना चाहते है तो उन्हें एवज में 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) देय होगा।

5.2 गृह निर्माण अनुदान

क) विस्थापित परिवार जिनका आवास भू–अर्जन अंतर्गत है को गृह निर्माण अनुदान के रूप में रु० 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) देय होगा।

ख) भूमिहीन विस्थापित परिवार को गृह निर्माण अनुदान के रूप में 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) देय होगा।

5.3 भू–अर्जन के अधीन आने वाले आवासों के मालिक अपना आवास तोड़कर उसका सारा सामान जहाँ वे बसना चाहते है ले जा सकेंगे। मुआवजे की राशि पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

5.4 परिवहन अनुदान

आवास अर्जित किये जाने से विस्थापित प्रत्येक परिवार को रु० 2000/– (रूपये दो हजार मात्र) परिवहन अनुदान नये बसाहट के स्थान पर जाने हेतु देय होगा।

5.5 पुनर्वास स्थल

पुनर्वास स्थलों का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा जहाँ विस्थापितों को केवल व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि यथासंभव सामुदायिक रूप से बसाया जा सके। प्रत्येक पुनर्वास स्थल पर मापदंड के अनुसार न्यूनतम आधारभूत सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी यथा

क) प्राथमिक विद्यालय

ख) स्वास्थ्य केन्द्र

ग) पेयजल की सुविधा अन्तर्गत कुआं एवं चापाकल (प्रत्येक 50 परिवार पर एक)

घ) तालाब

ड़) पंचायत भवन/सामुदायिक भवन

च) पुनर्वास स्थल के अन्दर सड़क तथा पुनर्वास स्थल से मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए पक्की सड़क

छ) बिजली

ज) सुलभ शौचालय

झ) धार्मिक पूजा स्थल तथा

ट) प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र

ठ) अंतिम संस्कार हेतु श्मशानघाट अथवा कब्रगाह

उपर्युक्त सूची सांकेतिक है तथा प्रत्येक स्थल की अपनी विशिष्ट वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर ये सुविधांए उपलब्ध करायी जायेगी।

6.0 भूमि अर्जित किये जाने से विस्थापित परिवारों को देय सुविधाएँ

6.1 वैसे विस्थापित परिवार जिनकी भूमि अर्जित होने के कारण कृषि पर आधारित उनकी आजीविका प्रभावित हुई है को प्रथमतः भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। इस निमित्त परियोजना अन्तर्गत भू–अर्जन की अधियाचना भेजते समय परियोजना के कार्य अवयवों के साथ–साथ पुनर्वास प्रयोजनों के लिए भी भूमि की मांग आकलित कर लिया जाय। यदि किन्हीं कारणों से भूमि के बदले भूमि दे पाना संभव नहीं होता है अथवा विस्थापित परिवार उसके लिए इच्छुक नहीं हो तो निम्नांकित विकल्पों के माध्यम से पुनर्वासित किया जायेगा।

क) परियोजना अंतर्गत दुकानों का निर्माण एवं आबंटन, अथवा,

ख) समूह अथवा व्यक्तिगत आधार पर स्वरोजगार के लिए अनुदान।

ग) जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सृजित वर्ग 3 एवं 4 के पदों के विरूद्ध नियुक्ति में अधिमानता।

6.2 भूमि के बदले भूमि का आबंटन

क) केवल ऐसे विस्थापित परिवारों को ही भूमि के बदले भूमि आबंटन की पात्रता होगी जिनका कम से कम एक हेक्टेयर भूमि परियोजना द्वारा अर्जित की गई है। जिस परिवार में बालिग पुत्र होंगे उस परिवार को संयुक्त परिवार मानते हुए भूमि आबंटन केवल परिवार के मुखिया के नाम से किया जायेगा एवं यह संयुक्त परिवार का सभी सदस्यों का पूर्ण रूपेण आर्थिक पुनर्वास माना जायेगा।

ख) प्रत्येक विस्थापित पात्र परिवार को उनसे अर्जित कृषि भूमि का 50 प्रतिशत तक अथवा एक हेक्टेयर, जो भी कम हो, भूमि आबंटित किया जा सकेगा।

ग) भूमि के बदले भूमि प्राप्त करने के पात्र विस्थापित परिवारों को देने हेतु भूमि का उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपायुक्त के अधीन समिति गठित कर उस समिति के माध्यम से परियोजना कोष से भूमि का क्रय किया जा सकेगा बशर्ते कि उसका दर भू–अर्जन अन्तर्गत समरूप भूमि के निर्धारित दर से अधिक न हो।

घ) भूमि, यथासंभव, नये पुनर्वास स्थल अथवा उसके निकटवर्ती ग्रामों में उपलब्धता के आधार पर आबंटित की जायेगी।

ड़) डूब क्षेत्र की ऐसी भूमि जो जलाशय में पानी के स्तर के घटने के कारण कृषि के लिए उपलब्ध हो जाती है वार्षिक लीज पर बिना नीलामी के इस श्रेणी के विस्थापितों को दी जा सकेगी।

परिवारों को निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया ज़ायेगा।

- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
- सीमान्त एवं लघु कृषक
- अन्य

छ) आबंटित भूमि के लिए सिंचाई प्रदान करने के लिए आबंटिती को प्रचलित प्रावधानों के अनुसार ऋण प्राप्त करने में सहायता दी जायेगी।

6.3 दुकानों का आबंटन

क) दुकान देना जीवनक्षय पुनर्वास विकल्प है। परियोजना प्रभावित परिवारों को परियोजना की ओर से कुछ दुकानों का निर्माण कराकर आबंटित किया जायेगा।

ख) दुकानों को चलाने के लिए अपेक्षित पूँजी ऋण के रूप में प्राप्त करने में भी सहायता दी जायेगी।

6.4 स्वरोजगार के लिए अनुदान

क) सामुहिक अथवा व्यक्तिगत आधार पर स्वरोजगार के माध्यम से भी पुनर्वास की व्यवस्था किया जायेगा।

ख) प्रति परिवार अनुदान 75,000/– (रूपये पचहत्तर हजार मात्र) स्वरोजगार के लिए अनुमान्य होगा। इस राशि का उपयोग कृषि भूमि के क्रय एवं विकास हेतु भी किया जा सकेगा।

ग) जलाशय क्षेत्र के मत्स्य उद्योग एवं पर्यटन उद्योग संबंधी सम्भावनाओं के दोहन में भी विस्थापितों को सम्बद्ध किया जायेगा।

घ) जलाशय में मत्स्य पालन हेतु नव सृजित जलाधार की बन्दोबस्ती

परिवारों के आर्थिक पुनर्वास से इस परिसम्पत्ति को संबद्ध किया जा सके।

6.5 प्रशिक्षण की व्यवस्था

परियोजना के माध्यम से वैसे विस्थापित परिवारों, जिनकी भूमि अर्जित किये जाने के फलस्वरूप आजीविका प्रभावित हुई है, के प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी योग्यता, प्रतिभा एवं रूचि के आधार पर किया जायेगा। ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से पुनर्वासित किया जा सके। इस निमित्त परियोजना से प्रति परिवार रु० 15,000/– तक का व्यय अनुमान्य होगा।

7.0 जीवन निर्वाह अनुदान

7.1 यदि कोई परिवार उपकंडिका 3.1 (क) एवं 3.1 (ख) दोनो ही दृष्टि से विस्थापित की श्रेणी में आता है तो वैसी परिस्थिति में उन्हें कंडिका 5 एवं कंडिका 6 दोनों में अंकित सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।

7.2 प्रत्येक विस्थापित परिवार को रु० 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) प्रति माह का जीवन निर्वाह अनुदान वास्तविक विस्थापन की तिथि से एक वर्ष तक देय होगा।

8.0 पुनर्वास कार्यो के लिए वित्तीय उपबंध

8.1 पुनर्वास हेतु संभावित व्यय को योजना के प्राक्कलन में समाविष्ट किया जायेगा एवं तद्नुसार लाभ–लागत अनुपात की गणना की जायेगी।

8.2 पुनर्वास संबंधी सभी कार्यो के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान परियोजना लागत में सम्मिलित कर परियोजना से ही योजना लागत एवं बजट के बंधेज के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा।

8.3 पुनर्वास योजना अंतर्गत किये जाने वाले सभी भुगतान चेक द्वारा पति–पत्नी के संयुक्त खाते में किया जायेगा। इसी प्रकार भूमि का परचा अथवा दुकान का आबंटन भी पति–पत्नी के संयुक्त नाम से होगा।

9.0 विस्थापित को जल संसाधन विभाग की वर्ग 3 एवं 4 की नियुक्तियों में छूट

9.1 विस्थापित व्यक्ति को जल संसाधन विभाग की अधीन वर्ग–3 एवं वर्ग 4 की नियुक्तियों में 3 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

9.2 जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के वर्ग 3 एवं 4 के रिक्त पदों पर आवश्यकताओं को देखते हुए आहर्त्ता रखने वाले विस्थापितों को, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श लेकर नियुक्ति में उच्चतम प्राथमिकता दिया जायगा।

विस्थापितों की संख्या के सापेक्ष चूँकि सामान्यतः जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं अन्तर्गत उपलब्ध नौकरियों की संख्या बहुत कम होती है अतः सीमित संख्या में ही विस्थापितों को सरकारी नौकरी दी जा सकेंगी।

9.3 जिन विस्थापित परिवार को विस्थापन के आधार पर सरकारी नौकरी दिया जाता है उन्हें पुनर्वास अंतर्गत मात्र गृह स्थल आबंटन की सुविधा देय होगी (बशर्ते की उनका आवास अर्जित किया गया है) तथा यदि कोई अन्य पुनर्वास संबंधी सुविधा उन्हें नियुक्ति के पूर्व दी गई है तो उस सुविधा के समतुल्य राशि उनके वेतन से किस्तों में दो वर्ष की अवधि में काट लिया जायेगा।

10.0 ग्राम सभा/पंचायतों,गैर सरकारी संगठनों एवं विशेषज्ञों की भूमिका

10.1 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्यो के सूत्रण/कार्यान्वयन में प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा/ पंचायत का भी परामर्श प्राप्त किया जाएगा।

कार्यान्वयन में यथा आवश्यकता प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी संबद्ध किया जाएगा।

10.3 यथा आवश्यकता पुनर्वास कार्य निमित्त विशेषज्ञों की सेवाएँ भी प्राप्त किया जा सकेगा जिसपर होनेवाले व्यय को परियोजना पर भारित किया जाएगा।

11.0 समन्वय समिति का गठन

11.1 पुनर्वास कार्य के आयोजन, कार्यान्वयन एवं प्रबोधन के प्रत्येक चरण में विस्थापित परिवारों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायगा। सरकार एवं विस्थापितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रत्येक सिंचाई परियोजना में एक समन्वय समिति का गठन उपायुक्त (अथवा एक से अधिक जिलों में परियोजना का विस्तार होने पर प्रमंडलीय आयुक्त) की अध्यक्षता में किया जाता है। जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे–

क) परियोजना पदाधिकारी

ख) अनुमंडल पदाधिकारी

ग) पुर्नवास पदाधिकारी

घ) भू–अर्जन पदाधिकारी

ड) भू–सुधार उप समाहर्त्ता

च) स्थानीय सांसद/विधायक

छ) विस्थापित परिवारों के संगठन से संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा चयनित तीन सदस्य

ज) जिला लीगल एड समिति के सदस्य

झ) पुनर्वास कार्य से संबद्ध गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि

त) पुनर्वास कार्य से संबंद्ध विषय विशेषज्ञ

थ) प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा/ पंचायत के प्रतिनिधि

11.2 पुनर्वास स्थल पर किये जाने वाले छोटे–छोटे कार्यों को यथा संभव विस्थापितों के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा ताकि विस्थापितों के रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हो एवं साथ ही साथ पुनर्वास स्थल के कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जा सकें।

11.3 पुनर्वास के क्रम में परियोजना की निधि से बनायी गई परिसम्पत्तियों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर दिया जायेगा ताकि परियोजना पूर्ण होने के उपरांत भी इनके संचालन एवं सम्पोषण की स्थायी व्यवस्था रहे। इन परिसम्पतियों के रख रखाव में विस्थापितों की समिति को भी संबद्ध किया जायेगा।

12.0 प्रभाव की तिथि

12.1 यह संकल्प निर्गत की तिथि से लागू समझा जायगा। इस संकल्प में वर्णित पुनर्वास पैकेज जल संसाधन विभाग अन्तर्गत चालू उन वृहद एवं मध्यम योजनाओं पर भी लागू होगा जिनमें कि पुनर्वास संबंधी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

आदेशः– आदेशित किया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखंड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारियों को भेजी जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0

(सुधीर त्रिपाठी)

सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः– मु०अ० (मो०) –204/2001/1374 राँची दिनांक– 30.09.03

एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को भेजी जाय।

ह0

(सुधीर त्रिपाठी)

सचिव

ज्ञापांक:– मु०अ० (मो०) –204/2001/1374 राँची दिनांक– 30.09.03

प्रतिलिपि:– महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त/ योजना आयुक्त/कृषि आयुक्त/ सरकार के सभी विभागों के सचिव/सभी जिलों के उपायुक्त/जल संसाधन विभाग के सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, राँची/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह0

(सुधीर त्रिपाठी)

सचिव